प्रेस नोट

दिनांक 11.03.2025

थाना बिवांर पुलिस द्वारा हत्या के 04 वांछित अभियुक्त, मृतक की मोटरसाइकिल व आला कत्ल सहित गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11/03/2025 को थाना बिवांर पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर थाना कोटरा जनपद जालौन क्षेत्र में जंगल में जीतू कुमार (मास्टर) पुत्र श्यामकरन नि0 मुहाल शान्ति नगर कस्बा व थाना उरई जनपद जालौन की हत्या से सम्बन्धित अभि0गण 1.मुस्तकीम पुत्र अब्दुल गफ्फार नि0 करसान रोड रामकुण्ड के पास कस्बा उरई कोतवाली उरई जनपद जालौन 2.मो0 रिजवान पुत्र मो0 आशिक मंसूरी नि0 ग्राम सैदनगर थाना कोटरा जनपद जालौन 3.अनवर पुत्र आजाद खान नि0 मुहल्ला हनुमानगढी कस्बा व थाना एट जनपद जालौन 4.नूरहसन पुत्र शेर अली नि0 हिंगुटा थाना कैलिया जनपद जालौन हाल पता आराजी लेन बडी माता कस्बा व थाना कौंच जनपद जालौन को बसवारी मौदहा रोड पर मृतक की मोटर साइकिल के साथ समय करीब 07.20 बजे गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त मुस्तकीम उपरोक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त पत्थर (आला कत्ल) को थाना डकोर जनपद जालौन क्षेत्र से बरामद किया गया। गिरफ्तारी, बरामदगी व पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही करते हुये मान0 न्यायालय भेजा गया ।

अभियुक्तगणों से पूछताछ का विवरण

पूछताछ पर अभि0गण द्वारा बताया गया कि अभि0 मुस्तकीम मृतक जीतू कुमार के यहां पर किराये पर रहता था और मृतक से अभि0 ने 03 लाख रुपया उधार लिया था। जिसको अभि0 मुस्तकीम वापस नही दे रहा था। जिसके सम्बन्ध में मृतक ने अभि0 मुस्तकीम के रिश्तेदार नूरहसन, मो0 रिजवान व अनवर को बताया था। पैसे वापस मांगने की बात को लेकर एक बार अभि0गण उपरोक्त द्वारा मृतक व मृतक की पत्नी से विवाद किया गया था । मृतक जीतू कुमार का 03 लाख रुपया अभि0 मुस्तकीम को वापस न करना पडे इसलिये अभि0गण उपरोक्त द्वारा आपराधिक षडयंत्र करके योजना बद्ध तरीके से दिनांक 01/03/2025 को जब मृतक जीतू अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस जा रहा था तो अभि0 मुस्तकीम ने मृतक जीतू को फोन करके पार्टी करने के बहाने बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे पर झांसी उरई कट के पास बुलाया था और फिर मृतक को एट कस्बा लेकर गया था, जहां पर अभि0 मुस्तकीम का रिश्तेदार/अभि0 मो0 रिजवान मिला था। जिसके बाद तीनो लोग अभि0 अनवर की दुकान पर गये थे और मृतक की मोटर साइकिल को अनवर की दुकान पर खडा करके तीनो लोग एक साथ एट कस्बा में ठेका से शराब की बोतल लेकर ग्राम दुरहट व सैयद नगर के बीच पडने वाले जंगल में ले जाकर मृतक को शराब पिलाये थे और पत्थर से सिर व चेहरे पर वार करके मृतक की हत्या कर दिये थे। मृतक की हत्या करने के बाद अभि0 मुस्तकीम द्वारा फोन से अभि0 अनवर व नूरहसन को मृतक की हत्या करने के बारे में बताया था। आज अभि0गण मृतक की मोटर साइकिल को लेकर कस्बा मौदहा जा रहे थे।

मोटर साइकिल पंचर होने के कारण बसवारी मौदहा मार्ग पर स्थित पुलिया पर बैठे थे, जिनको मुखविर की सूचना पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके मृतक की मोटर साइकिल को बरामद किया गया एवं अभि0 मुस्तकीम की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल को भी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1.मुस्तकीम पुत्र अब्दुल गफ्फार नि0 करसान रोड रामकुण्ड के पास कस्बा उरई कोतवाली उरई जनपद जालौन

2.मो0 रिजवान पुत्र मो0 आशिक मंसूरी नि0 ग्राम सैदनगर थाना कोटरा जनपद जालौन

3.अनवर पुत्र आजाद खान नि0 मुहल्ला हनुमानगढी कस्बा व थाना एट जनपद जालौन

4.नूरहसन पुत्र शेर अली नि0 हिंगुटा थाना कैलिया जनपद जालौन हाल पता आराजी लेन बडी माता कस्बा व थाना कौंच जनपद जालौन

बरामदगी का विवरण:-

1.मृतक की मोटर साइकिल

2.घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (पत्थर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.SHO धर्मेन्द्र कुमार

2.उ0नि0 जगतनारायण

3.उ0नि0 अंकित कुमार

4.उ0नि0 विकास यादव

5.का0 हरिनन्दन सिंह

6.का0 राजेश कुमार यादव

7.का0 छोटेलाल यादव

8.का0 अवधेश यादव

9.का0 सुकेन्द्र सिंह